न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—157 / 2018 / 225 (2018 / 00157)

1. नाथी पुत्री रामदीन,
2. मीरा पत्नि पन्ना,
3. गोपाल पुत्र पन्ना,
4. रामचन्द्र पुत्र पन्ना,
5. किशोर पुत्र पन्ना,
6. रामस्वरूप पुत्र पन्ना,
7. गोदावरी पुत्री पन्ना,
8. सन्ता पुत्री पन्ना,
9. श्रवण पुत्र मूला,
10. कैलाश पुत्र मूला,

समस्त जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती केलकी पुत्री भंवरा, जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर हाल नि0 ग्राम बिदियादा, तहसील परबतसर, जिला नागौर ।
2. श्रीमती गोगा पुत्री भंवरा, पत्नि रतनाराम, जाति बावरी, नि0 ग्राम राजपुरा, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर हाल नि0 ग्राम श्यामपुरा, तह0 परबतसर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती नोरती पुत्री भंवरा पत्नि तेजा, जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर हाल नि0 ग्राम श्यामपुरा, तह0 परबतसर जिला नागौर ।
4. श्रीमती सुगना पुत्री भंवरा पत्नि बंशी, जाति बावरी, निवासी ग्राम राजपुरा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर हाल नि0 ग्राम बिदियाद, तह0 परबतसर, जिला नागौर ।
5. रूघा पुत्र रामदीन,
6. जगदीश पुत्र रामदीन,
7. हरदीन पुत्र रामदीन,
8. मुन्नी पुत्री रामदीन,
9. ग्यारसी पत्नि रामदीन,

समस्त जाति बावरी, निवारसी ग्राम राजपुरा, तह0 रूपनगढ़, जिला नागौर

10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
11. उप पंजीयक, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, दिनांक 29.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 2 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6.
3. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील रेस्पो0 संख्या 7 से 9.
4. श्री प्रेमप्रकाश, वकील रेस्पो0 संख्या 5 से 9.

निर्णय

दिनांकः— 8.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 29.5. 2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा/ससुर लादू पुत्र प्रताप बावचरी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात ग्राम राजपुरा, तह0 किशनगढ़ हाल तहसील रूपनगढ़ में स्थित आराजी खसरा नंबर 59 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा है । लादू पुत्र प्रताप के फौत होने पर उसके चारों पुत्रगण भंवरा, रामदीन, पन्ना, मूला के नाम 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था किन्तु भंवरा का नाम छोड़कर रामदीन व पन्ना के नाम 2/3 हिस्सा व मूला के वारिसान के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया । इसलिये वादीगण के पिता के 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 स्व0 रामदीन के वारिसान के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 स्व0 पन्ना के वारिसान के नाम 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 15 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये । इस गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजियात में वादी/अपीलांट के 1/4 हिस्से को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है । अतः वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 29.5.2018 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब पत्रावली में आदेशिका दिनांक 24.4.2018 को अपीलांटस की ओर से अधिवक्ता हाजिर हो गए थे एवं जवाब हेतु समय दिया जाकर पत्रावली में दिनांक 7.6.2018 की पेशी नियत की गई थी तो इससे पूर्व बिना अपीलांटस को सूचित किये ही पत्रावली को न्याय आपके द्वार कैम्प नांवा में रखकर बिना जवाब लिये एवं अपीलांटस को बिना सुने निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था । न्याय आपके द्वार कैम्प में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें सभी पक्षकार सहमत हो लेकिन वर्तमान प्रकरण में अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही अपीलांटस को सुना गया । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज किया कि लादू पुत्र प्रताप के फौत होने के पश्चात् उसके चारों पुत्रों के नाम ग्राम राजपुरा, तह0 रूपनगढ़ की कृषि आराजी खसरा नंबर 75/3 में स्थित रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 59 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नंबर 60 रकबा 16 बीघा 15

बिस्वा भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी । लादू पुत्र प्रताप के फौत होने पर उसके वारिसों के नाम वादग्रस्त आराजियात का नामांतकरण दर्ज हुआ । भंवरा फौत हो गया है उसके खसरा नंबर 75/3 में 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि संपूर्ण जो कि लादू पुत्र प्रताप के नाम दर्ज थी, आपसी सहमति से ग्यारसी पत्नि भंवरा के नाम राजस्व रिकार्ड में खोला गया एवं शेष खसरा नंबर 59 व 60 में 2/3 व 1/3 हिस्से का अंकन किया गया । उक्त ग्यारसी देवी ने संपूर्ण आराजी का बेचान कर दिया तत्पश्चात् अपनी पुत्रियों से मिलीभगत कर यह झूंठा वाद प्रस्तुत किया है इसलिये संपूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं जवाब का अवसर दिये बिना जल्दबाजी में निर्णय पारित कर अपीलांटस जो कि वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा किसी प्रकार की कोई मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिससे यह साबित कर सकते थे कि विवादित आराजियात से वादी का कोई संबंध नहीं है । अपीलांटस विवादित आराजियात पर रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है जिन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये पाबंद किया जाना विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा/ससुर लादू पुत्र प्रताप बावचरी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात ग्राम राजपुरा, तह0 किशनगढ़ हाल तहसील रूपनगढ़ में स्थित आराजी खसरा नंबर 59 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा है । लादू पुत्र प्रताप के फौत होने पर उसके चारों पुत्रगण भंवरा, रामदीन, पन्ना, मूला के नाम 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था किन्तु भंवरा का नाम छोड़कर रामदीन व पन्ना के नाम 2/3 हिस्सा व मूला के वारिसान के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया । इसलिये वादीगण के पिता के 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 स्व0 रामदीन के वारिसान के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 स्व0 पन्ना के वारिसान के नाम 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 15 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये । इस गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजियात में वादी/अपीलांट के 1/4 हिस्से को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है । प्रार्थीगण भंवरा की जायंदा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा उक्त वर्णित पुश्तैनी आराजी में प्रार्थीगण का जन्म से हक, हिस्स व अधिकार निहित है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के पूर्वज एवं अप्रार्थीगण संख्या 14 व 15 ने गलत रूप से हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा निहित है । यदि अपीलांटस को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता तो वे विवादित आराजियात में रेस्पो0/प्रार्थीगण के हिस्से को खुर्दबुर्द कर देते जिससे प्रार्थीगण/रेस्पो0 को अपूर्णीय क्षति होती तथा और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना रहती । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन है कि पत्रावली अपीलांटस के जवाब हेतु नियत की गई थी किन्तु अधी0न्याया0 ने नियत दिनांक से पूर्व ही पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलांटस का जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश

पारित किया है । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनाक 20.4.2018 का अवलोकन किया गया । उक्त आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि '' पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 6 से 13, 16, 17 के नोटिस तामीलशुदा व अप्रार्थी संख्या 5, 14, 15 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए है । अप्रार्थी संख्या 3, 5, 7, 8, 10 से 15 की ओर से वकील श्री रामलाल प्रजापति ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 6 व 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है । जवाब हेतु समय चाहा । समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 7.6. 2018 को पेश हो । '' अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका से यह स्पष्ट है कि पत्रावली अप्रार्थीगण/अपीलांटस के जवाब में नियत थी किन्तु अधी0न्याया0 ने नियत दिनांक 7.6.2018 से पूर्व ही दिनांक 29.5.2018 को पत्रावली पुटअप कर पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र में नियत दिनांक 29.5.2018 को रखने के आदेश पारित कर दिये । प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखने बाबत् पक्षकारान को कोई नोटिस/सूचना दिये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/नोटिस उपलब्ध नहीं है । इसके पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.5.2018 को अपीलांटस को साक्ष्य, सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना तथा अपीलांटस का जवाब प्राप्त किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलांटस को साक्ष्य, सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम विद्वान वकील अपीलांटस के इस तर्क से भी सहमत है कि कैम्प कोर्ट में केवल उन्हीं प्रकरणों को निर्णित किया जा सकता है जिसमें समस्त पक्षकारान की सहमति हो गई हो अथवा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हो । हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नही माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । ।

7. अतः अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.5.2018 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 8.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर